राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.12(103)नविवि/04/पार्ट

जयपुर, दिनांक: -8 JUN 2017

1. आयुक्त,
   समस्त विकास प्राधिकरण राजस्थान।
2. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका,
   राजस्थान।
3. समस्त सचिव,
   नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर,
   राजस्थान।

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 एवं 22.05.17 की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगरीय क्षेत्रो में स्थित फुटपाथ तथा सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण कार्यो के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है।

विकास प्राधिकरणो के आयुक्त तथा नगर सुधार न्यास के सचिव अपने क्षेत्राधिन क्षेत्रों में स्थित फुटपाथ व सार्वजनिक मार्ग पर स्थित अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान तैयार किया जावे तथा सार्वजनिक स्थानो एवं फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभवी कार्यवाही की जावे। प्राधिकरण/न्यास द्वारा दिनांक 12.06.2017 तक एक्शन प्लान नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किया जावे तथा उक्त प्लान के अनुसार हटाये गये अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी सूचना भी नगरीय विकास विभाग को प्रेषित की जावे, ताकि आगामी तारीख पेशी से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इस संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से वांछित सहयोग प्राप्त किया जावे। इस कार्य को अभियान के रूप में लिया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 में प्रदत्त निर्देशो की पालना में नगर पालिका के स्तर पर सार्वजनिक स्थानो व फुटपाथ से अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के संबंध में समस्त नगर पालिकाए वार्ड वार कार्यक्रम निर्धारित कर अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही किये जाने का एक्शन प्लान सात दिवस में तैयार कर दिनांक 12.06.2017 तक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित करें। वार्ड वार हटाये गये अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण का विवरण भी निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित किया जावे ताकि आगामी तारीख पेशी से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इस संबंध में जिला प्रशासन एव पुलिस प्रशासन से वांछित सहयोग प्राप्त किया जावे। इस कार्य को अभियान के रूप में लिया जावे।

(मुकेश कुमार शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:प.12(103)नविवि/04/पार्ट

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी